भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5407
05 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

मत्स्यपलन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि

5407. बालाशौरी बल्लभनेनी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी पशुपालन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्यपलन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफएआईडीएफ) के लक्ष्य एव उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसके कार्यान्वयन के बाद से उक्त निधि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में मछली पकड़ने और जलकृषि से जुड़े किसानों को प्रदत्त रियायती वित्त का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि के अंतर्गत मंत्रालय आंध्र प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में देश में मत्स्यपालन और जलकृषि पर जो विशेष बल दे रहा है, उसका ब्यौरा क्या है और

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में उपरोक्त निदि के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि से मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) का सृजन किया है और एफआईडीएफ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं (i) कैप्चर एंड कल्चर मात्स्यिकी अवसंरचना का निर्माण और आधुनिकीकरण, (ii) समुद्री जलकृषि अवसंरचना का निर्माण, (iii) अंतर्देशीय मात्स्यिकी अवसंरचना का निर्माण और आधुनिकीकरण, (iv) बुनियादी ढांचे की सहायता के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करना और घरेलू विपणन सुविधाओं में सुधार करना, (v) संसाधन अंतर को पाटने और चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करना।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एफ.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 1312.92 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। जिसमें आंध्र प्रदेश से 21.92 करोड़ रूपए की कुल लागत के निजी उद्यमियों के 04 प्रस्ताव शामिल हैं, आंध्र प्रदेश राज्य को एफआईडीएफ के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। एफआईडीएफ में अन्य बातों के साथ-साथ ब्रूड बैंकों की स्थापना, हैचरियों का विकास, जलकृषि का का विकास, जलाशय में केज चल्चर की स्थापना, शीत संयंत्रों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, मत्स्य परिवहन सुविधाएं, मत्स्य चारा मिल, मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों आदि सहित अंतर्देशीय मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के लिए रियायती धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था है। चूंकि यह योजना मांग आधारित है। अतः राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है।

*****

अनुबंध-I

मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि के संबंध में बालाशौरी बल्लभनेनी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 05 अप्रेल, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5407 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**जिले का नाम**	**वर्ष**	**कुल परियोजना लागत**	**एफआईडीएफ के तहत ब्याज सबवेंशन के लिए प्रतिबंधित परियोजना लागत**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**(vi)**
1.	उप्पदा में फिशिंग हार्बर का निर्माण	पूर्वी गोदावरी	2019-20	289.00	150.00
2.	वोडारेवु में फिशिंग हार्बर का निर्माण	प्रकाशम	2019-20	409.22	150.00
3.	मछलीपट्टिनम में फिशिंग हार्बर का निर्माण	कृष्णा	2019-20	252.00	150.00
4.	निजामपट्टिनम में फिशिंग हार्बर का निर्माण	गुंटूर	2019-20	340.78	150.00
5.	आधुनिक प्रोद्योगिकियों को अपनाकर उच्च मूल्यवान फिन फिश और शेल फिश के उत्पादन और उत्पादकता के लिए नवीन दृष्टिकोण	कृष्णा	2019-20	2.17	2.17
6.	आधुनिक प्रोद्योगिकियों को अपनाकर उच्च मूल्यवान फिन फिश और शेल फिश के उत्पादन और उत्पादकता के लिए नवीन दृष्टिकोण	कृष्णा	2019-20	1.47	1.47
7.	प्रसंस्करण संयंत्र का विस्तार	पश्चिम गोदावरी	2020-21	14.76	8.820
8.	नवीन लार्ज री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम प्रोजेक्ट की स्थापना	कृष्णा	2021-22	3.52	1.634
			योग	**1312.92**	**614.094**

*****